10/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त प्र-
करण प्रार्थी, पत्र प्रार्थी निम्न [illegible] पावर
को चिन्हित निर्णय कॉलम के लिखकर पार
[illegible] किया गया। [illegible] के [illegible]
निर्णय [illegible] गया।

GCMS
2024/97

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 41/2024 GCMS:-2024/97 दायरा दिनांक 08.02.2024

रामचन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा चक 2 सी.एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– प्रार्थी –

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
2. ग्राम पंचायत चक 1 एल.एम पंचायत समिति सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

– अप्रार्थीगण –

उपस्थित :– 1. श्री भागीरथ बिश्नोई (अभिभाषक प्रार्थी)

2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रार्थना पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 18.12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। सक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सह पठित धारा 8 (2) उपनिवेशन कालोनी कण्डीसन 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 सी.एमस प0नं0 40/301 कि.नं. 3, 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 का 14 बीघा प्रार्थी को पुख्ता आवंटन है इसी प.नं. के किला न0 1 ता 5 में खाला व 21 ता 24 में रास्ता स्वीकृत है किन्तु यह रास्ता चालू नहीं है काश्तकारों को अन्य रास्ता उपलब्ध है। अतः चक 2 सी.एम पं0नं0 43/40 के किला नं0 21 ता 24 का रास्ता निरस्त कर यह भूमि गै0मुमकिन से प्रार्थी के अपने नाम दर्ज करने की प्रार्थना की।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया व तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई [illegible] पंचायत बावजूद सूचना उपस्थित ना होने से उनके विरूद्ध ईकर[illegible] सुन[illegible] के आदेश हुए।

बाद आने रिपोर्ट [illegible] सुने गये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराने व चक 2 सी.एम पं.नं0 4[illegible]40 के किला नं0 21 ता 25 का रास्ता चालू ना होने व अनूउपयोगी होने से निरस्त कर प्रार्थी के खाते मे भूमि दर्ज करने की प्रार्थना की रिपोर्ट तहसील का भी अवलोकन करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 2 पर

अप्रार्थी नं0 1 में राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय की प्रार्थाना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व तर्को पर ध्यान पूर्वक मनन करने के उपरान्त पाया कि प्रार्थी को चक 2 सी.एम प0नं0 43/24 कि.नं. 3, 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 का कुल 14 बीघा भूमि आवटित है। किन्तु इस आवंटित भूमि मे से मुताबिक रिपोर्ट तहसील व स्वंय प्रार्थी के कथन अनुसार चक 1 सी.एम पं0 ने0 43/40 कि0नं0 21/2, 22/2, 23/2, 24/1, 25/1 में 0.025 है0 रास्ता दर्ज कागजात है व कि0 नं0 21/2 व 22/2 में रास्ता चालू है। संलग्न नक्शा अनुसार पं.नं. 44/33, 44/41 जो पं0नं0 43/40 से चिपते काश्तकार है उन्हे हितबद्ध होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ ने रास्ता निरस्ती के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया व धारा 251 (क) के नवीन रास्ता स्वीकृती का अधिकार है ना की रास्ता निरस्ती का। सभी परिस्थितीयों को ध्यान में रखते हुए व हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार ना बनाने व दस्तावेजी साक्ष्य से सन्देह से परे प्रार्थी के कथन सिद्ध ना होने से प्रार्थना पत्र स्वीकृती योग्य नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत निरस्ती रास्ता निरस्त किया जाता है।

आदेश दिनांक 19.12.2024 को सुनाया गया पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:17 IST
Reason: SelfAttested